कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति भोपाल

क्रमांक ..../एम.सी./अराज/5/2025 भोपाल, दिनांक ..../01/2025

//आदेश //

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 161/स्था/अराज/2024, दिनांक 31.01.2024 एवं इस कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/23111/एमसी/अराज/5/2024 भोपाल, दिनांक 05.07.2024 के द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से संबंद्ध चिकित्सालयों मे रिक्त दिव्यांगजनों – नर्सिंग ऑफिसर, लैब अटेंण्डेंट, एवं भृत्य के पदों पर विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त विज्ञप्ति से दिनांक 14.11.2024 एवं 12.12.2024 को आयोजित साक्षात्कार उपरांत चयनित दिव्यांगजन को भृत्य के पद पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति प्रदान की जाती है।

दिव्यांगजन (भृत्य) बहरे एवं कम सुनने वाले,

कं.	अभ्यर्थी का नाम	लिंग	संवर्ग	पता
1	वर्षा नामदेव पिता हरिश नामदेव	महिला	OBC	रायसेन

दिव्यांगजन (भृत्य), बौद्धिक मानसिंक एवं बहुविकलांग,

कं.	अभ्यर्थी का नाम	लिंग	संवर्ग	पता
1	अमित मुरजानी पिता श्री शैलेंद्र मुरजानी	पुरूष	UR	भोपाल

दिव्यांगजन (भृत्य) लोकोमोटर,

कं.	अभ्यर्थी का नाम	लिंग	संवर्ग	पता
1	अनार सिंह पिता सुघर सिंह	पुरूष	SC	मुरैना

नियुक्ति की शर्तेः–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, यह मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तो के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तो मे आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
2. उक्त नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/– प्रतिमाह पर की जाती है।
3. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के साथ न्यूनतम 03 वर्ष की सेवायें देने हेतु 500/– रूपये के स्टाम्प पर बॉण्ड "सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र" निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तो का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय की राशि इस संस्था को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया राशि के समान वसूली योग्य होगी।
4. तीन माह पश्चात कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3–13/2019/3/एक भोपाल दिनॉक 12–12–2019 के बिन्दु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा ;सेवा की सामान्य शर्ते नियम 1961 के नियम 8(1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत पर रखा जाता है।

CamScanner

5. चयनित प्रत्याशी को 100/- रूपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
6. चयनित प्रत्याशी को चयन सूची अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह नियुक्ति इस सशर्त पर प्रदान की जाती हैं, कि यदि कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
7. चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
8. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र प्रमाणित मूल प्रतिलिपि प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण मान्य किया जावेगा।
9. चिकित्सा महाविद्यालय के संविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता शासन नियमों के तहत होगी, तथा चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल एवं संबंद्ध चिकित्सालयों में पदस्थ नवनियुक्त कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत ही प्रतिनियुक्ति की पात्रता होगी।
10. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ-7-2 /96 /आप्र/1 दि 1/08/96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
12. चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी। चयनित उम्मीदवार बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
13. चयनित प्रत्याशी द्वारा यदि परीवीक्षा अवधि में त्याग पत्र दिया जाता है तो नियुक्ति शर्त क्रमांक 03 के अनुसार बॉण्ड की राशि जमा करना अनिवार्य होगा तथा परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत यदि चयनित उम्मीदवार त्याग पत्र देता है तो एक माह का वेतन जमा कर अथवा एक माह पूर्व नोटिस देकर देना अनिवार्य होगा।
14. चयनित प्रत्याशी म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि मे भाग लेने की अनुमति नही होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
15. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
16. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी,कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
17. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों पर भी हो सकता हैं।
18. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरांत रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
19. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुऐ किसी अन्य संस्था मे रोजगार के लिये सीधे आवेदन नही दे सकते है।
20. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होगे।
21. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9/3/2005/नियम/चार दिनॉक 2-4-2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नही होगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनॉक 2-4-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नही होगे।

CamScanner

22. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमें प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
23. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ. क्रमांक 901-10 /एम.सी./अराज–5/2025 भोपाल, दिनांक 7 /01/2025

01. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
02. उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल संभाग, भोपाल।
03. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय,भोपाल।
04. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल।
05. आहरण एवं संवितरण अधिकारी,गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
06. प्रभारी अधिकारी, स्वशासी/गोपनीय शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
07. **संबंधित कर्मचारी नाम..........पदनाम–** भृत्य **पता..........................की ओर पालनार्थ।**
08. आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ति।

7/1/25

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल